

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/3429

दिनांक : 29-6-11

आदेश

सोसायटी के आदेश क्रमांक एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/2151 दिनांक 31.03.11, के द्वारा राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एसटीडी क्लिनिक्स में अनुबंध पर कार्यरत निम्न परामर्शदाताओं (काउन्सलरों) के अनुबंध की सेवा अवधि दिनांक 01.04.11 से 30.06.11 तक के लिए बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान गई थी।

अब उक्त सेवा अवधि को पुनः उनके वर्क परफार्मेंस के आधार पर दिनांक 01.07.11 से 30.09.11 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | संस्थान का नाम | अनुबंधित परामर्शदाताओं का नाम | कार्यग्रहण तिथि |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | महिला चिकित्सालय, अजमेर | नसीम बानो | 26.05.09 |
| 2 | जनाना अस्पताल, बीकानेर | दिनेश कुमार | 23.05.09 |
| 3 | पीबीएम अस्पताल, बीकानेर | मोमन राम | 02.06.09 |
| 4 | जिला अस्पताल, रतनगढ़ बुरु | प्रमीला शर्मा | 28.05.09 |
| 5 | एसएमएस अस्पताल, जयपुर | कृष्ण कान्त शर्मा | 18.06.09 |
| 6 | पन्नाधाय चिकित्सालय, उदयपुर | सुधा कुमारी | 23.05.09 |

नोट:- अनुबंध पर कार्यरत कार्मिक जिसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक हो गई है, उसकी अभिवृद्धि नहीं मानी जावे।

उक्त कार्मिको को बढ़ाई गई अवधि के लिए इस कार्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र (जो पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है) राशि रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापन पश्चात् निष्पादित करना अनिवार्य होगा। उक्त सभी कार्मिको के अनुबंध निष्पादन पश्चात् संबंधित कार्यालय प्रभारी अपने कार्यालय रिकार्ड में रखेंगे।


परियोजना निदेशक

क्रमांक : एड्स/संस्था/विविध (48)/2011/3429

दिनांक : 29-6-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त सभी अनुबंधित कार्मिकों का रिकार्ड के आधार पर प्रतिदिन का क्लार्ईट लोड एवं क्लार्ईट रेफरल टू आईसीटीसी कम होने के कारण कार्य संतोषजनक नहीं माना गया है। आगामी माह सितम्बर-2011 के अंतिम सप्ताह तक इनके कार्य का पुनः रिव्यू कर अग्रिम अनुबंध के संबंध में निर्णय लिया जावेगा। अतः समस्त अधिकारी प्रभारी संबंधित अनुबंधित कार्मिक को इस बाबत अपने स्तर पर निर्देशित करने का श्रम करें:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक..... |
2. अधीक्षक |
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... |
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी |
5. संयुक्त निदेशक (वित्त), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर को सूचनार्थ ;
6. संयुक्त निदेशक (बेसिक सर्विसेज), राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, जयपुर ।
7. एसटीडी क्लिनिक प्रभारी अधिकारी |
8. आदेश पत्रावली ।


परियोजना निदेशक